समस्या | दो अस्पतालों के मुख्य मार्ग पर रोज लग रहा जाम, प्रशासन और नगर पालिका की चुप्पी पर उठे सवाल

आजाद चौक बना अघोषित पार्किंग अड्डा, ट्रैफिक जाम से कराह रही जनता

नवभारत, धनपुरी। नगर का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाने वाला आज़ाद चौक इन दिनों अव्यवस्था, अतिक्रमण और प्रशासनिक लापरवाही का जीवंत उदाहरण बन चुका है। जिस चौक से प्रतिदिन हजारों नागरिक, मरीज, एम्बुलेंस और स्कूली वाहन गुजरते हैं, वही आज रसूखदारों की मनमानी और अघोषित पार्किंग व्यवस्था की भेंट चढ़ चुका है। हालत यह है कि आज़ाद चौक अब आम जनता के लिए सुविधा का केंद्र नहीं, बल्कि रोजाना तनाव, जाम और विवाद का कारण बनता जा रहा है।

सबसे गंभीर पहलू यह है कि यह मार्ग सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धनपुरी और केंद्रीय चिकित्सालय तक पहुंचने का प्रमुख रास्ता है। इसके बावजूद सड़क के दोनों किनारों पर बेतरतीब तरीके से खड़े चार पहिया वाहन, टैक्सियां और मोटरसाइकिलें पूरे यातायात को प्रभावित कर रही हैं। सुबह से लेकर देर रात तक चौक पर ऐसी स्थिति बनी रहती है मानो सार्वजनिक सड़क को निजी पार्किंग में बदल दिया गया हो। जाम की वजह से मरीजों को अस्पताल पहुंचने में देरी होती है, एम्बुलेंस फंस जाती हैं और आम नागरिकों को घंटों परेशान होना पड़ता है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका परिषद धनपुरी और स्थानीय प्रशासन इस पूरी अव्यवस्था को देखकर भी आंखें मूंदे बैठे हैं। आम नागरिक यदि गलती से सड़क किनारे बाइक खड़ी कर दे तो तत्काल चालान और कार्रवाई शुरू हो जाती है, लेकिन जब बात प्रभावशाली लोगों और महंगी गाड़ियों की आती है तो पूरा सिस्टम खामोश दिखाई देता है। यही दोहरा रवैया अब जनता के आक्रोश का कारण बनता जा रहा है।

आज़ाद चौक की मौजूदा स्थिति किसी भी समय बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। सड़क पर अव्यवस्थित तरीके से खड़े वाहन न केवल यातायात बाधित कर रहे हैं, बल्कि लगातार दुर्घटना का खतरा भी बढ़ा रहे हैं। कई बार अस्पताल जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को जाम के कारण बीच रास्ते में परेशान होते देखा गया है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों द्वारा न तो नो-पार्किंग क्षेत्र घोषित किया गया और न ही अवैध पार्किंग हटाने की कोई ठोस कार्रवाई की गई। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों का कहना है कि आज़ाद चौक अब 'अघोषित वीआईपी पार्किंग ज़ोन' बन चुका है, जहां नियम-कानून केवल गरीब और सामान्य लोगों के लिए लागू होते हैं। चौक पर खड़ी लग्जरी गाड़ियां और प्रभावशाली लोगों के वाहन प्रशासनिक कार्यवाही से पूरी तरह सुरक्षित दिखाई देते हैं। यही कारण है कि लोगों के बीच यह चर्चा तेज हो चुकी है कि नगर पालिका और प्रशासन रसूखदारों के दबाव में कार्रवाई करने से बच रहे हैं। सबसे शर्मनाक स्थिति यह है कि नगर पालिका के अधिकारी, यातायात व्यवस्था संभालने वाले जिम्मेदार कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारी प्रतिदिन इसी मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें सड़क पर फैली अव्यवस्था और जाम दिखाई नहीं देता। इससे साफ संकेत मिलता है कि या तो जिम्मेदारों की कार्यवाही करने की इच्छाशक्ति समाप्त हो चुकी है या फिर प्रभावशाली लोगों के सामने पूरा सिस्टम घुटने टेक चुका है। नगरवासियों का कहना है कि यदि समय रहते स्थिति नहीं संभाली गई तो आने वाले दिनों में आज़ाद चौक पूरी तरह ट्रैफिक अव्यवस्था का स्थायी केंद्र बन जाएगा। लोगों ने मांग की है कि चौक को तत्काल नो-पार्किंग क्षेत्र घोषित किया जाए, सड़क किनारे खड़े अवैध वाहनों पर नियमित कार्रवाई हो तथा अस्पताल मार्ग को हर हाल में जाम मुक्त रखा जाए। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए स्थायी पुलिस व्यवस्था और पार्किंग प्रबंधन लागू किया जाए।

जनता का आक्रोश कभी भी सड़कों पर फूट सकता है

जनता अब सीधे सवाल पूछ रही है कि क्या धनपुरी की सड़कें केवल रसूखदारों की गाड़ियों के लिए बची हैं। क्या आम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा की कोई कीमत नहीं रह गई। क्या अस्पताल जाने वाले मुख्य मार्ग पर भी प्रशासन कार्रवाई करने से डरता है। इन सवालों का जवाब अब नगर पालिका परिषद धनपुरी और स्थानीय प्रशासन को देना ही होगा। यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जनता का आक्रोश कभी भी सड़कों पर फूट सकता है। क्योंकि यह मामला अब केवल पार्किंग या ट्रैफिक जाम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रशासनिक निष्क्रियता, दोहरे मापदंड और रसूखदारों की बढ़ती मनमानी के खिलाफ जनता की नाराजगी का प्रतीक बन चुका है।

अधूरे पंचायत भवन को लेकर ग्रामीणों ने की शिकायत, जांच की मांग

बिना सूचना भवन शुरू करने और निर्माण में अनियमितता के आरोप

नवभारत, बुढार। जनपद पंचायत बुढार अंतर्गत ग्राम कटकोना में निर्माणाधीन पंचायत भवन को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुढार को आवेदन सौंपकर अधूरे पंचायत भवन को बिना किसी सूचना के चालू किए जाने तथा निर्माण कार्य में अनियमितता की जांच कराने की मांग की है।

ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया है कि ग्राम कटकोना में नए पंचायत भवन का निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा भवन को शुरू कर दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस संबंध में ग्राम सभा या गांव के लोगों को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई।

हादसे की आशंका जताई

आवेदन में ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि अधूरे भवन में पंचायत संचालन किए जाने से कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी सरपंच और सचिव की होगी। ग्रामीणों ने मामले को गंभीर बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों ने जनपद पंचायत प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। आवेदन पर ग्राम कटकोना के कई ग्रामीणों के हस्ताक्षर भी किए गए हैं। बताया गया कि शिकायत 11 मई 2026 को जनपद पंचायत बुढार कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

निर्माण कार्य और बिलों में गड़बड़ी का आरोप

ग्रामीणों ने पंचायत में कराए जा रहे अन्य कार्यों और उनके भुगतान बिलों में भी गड़बड़ी होने का आरोप लगाया है। आवेदन में कहा गया है कि पंचायत के विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं की भी जांच कराई जानी चाहिए।

कांग्रेस द्वारा राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित

नवभारत, शहडोल । जिला कांग्रेस कमेटी शहडोल के जिलाध्यक्ष अजय अवस्थी के निर्देशानुसार देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं 'भारत रत्न' राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी शहडोल द्वारा कांग्रेस भवन शहडोल में श्रृद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम राजीव गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं धूप-दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात उपस्थित कांग्रेसजनों ने दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में वक्ताओं ने राजीव गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा देश के विकास, तकनीकी क्रांति, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने तथा युवाओं को नई दिशा देने के लिए किए गए ऐतिहासिक कार्यों का स्मरण किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राजीव गांधी जी ने भारत को आधुनिक सोच और नई तकनीक से जोड़ने का कार्य किया। सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार एवं कंप्यूटर क्रांति के क्षेत्र में उनके योगदान को देश सदैव याद रखेगा। उन्होंने युवाओं को राजनीति में भागीदारी का अवसर प्रदान किया तथा ग्राम पंचायतों को अधिकार देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाया।वक्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी जी का सपना एक मजबूत, आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत का था, जिसे कांग्रेस पार्टी आज भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उनके आदर्श, विचार एवं राष्ट्रसेवा की भावना देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणास्त्रोत रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसजनों ने राजीव गांधी के बताए मार्ग पर चलने तथा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प भी लिया। अंत में उपस्थित सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धेय राजीव गांधी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।उक्त जानकारी जिला कॉँग्रेस कमेटी शहडोल के मुख्य प्रवक्ता पीयूष शुक्ला ने प्रदान की। कार्यक्रम मे जिला कांग्रेस के पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

तानाशाह प्रभारी प्राचार्य राजकुमार एवं शासन को धोखे में रखने वाला अतिथि विद्वान सुदीप्त की खुली पोल

नवभारत, गोहपारू । शासकीय महाविद्यालय गोहपारु के कर्मचारीयों, के द्वारा कुछ गंभीर प्रशासनिक एवं कार्यस्थल संबंधी समस्याएँ बताई गई हैं, जिनका महाविद्यालय के वातावरण एवं कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कर्मचारियों द्वारा निम्न बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ राजकुमार महोबिया द्वारा कर्मचारियों के साथ संवाद एवं व्यवहार को लेकर कई बार असहज एवं अपमानजनक परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, जिससे कार्यस्थल का वातावरण प्रभावित हुआ है।

प्रशासनिक निर्णयों एवं कार्यों के संचालन को लेकर कर्मचारियों के बीच असंतोष की स्थिति बनी हुई है। सभी कर्मचारियों द्वारा तानाशाहीपूर्ण कार्यशैली की विरोध कर रहे है। डॉ महोबिया द्वारा महाविद्यालय में कर्मचारियों के साथ अनुचित आचरण, अनुशासनहीनता जैसी घटनाओं के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी और गवाह उपलब्ध हैं, कृपया उन्हें जांच का हिस्सा बनाया जाए। महाविद्यालय में डॉ राजकुमार महोबिया एवं उनके साथी सुदीप्त चौधरी एबीव्हीपी के कार्यकर्ताओं को बुला कर मन चाहा ज्ञापन लिया जा रहा है, जिसकी आड़ में कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों को धमकी दिया जा रहा है की आपकी नियुक्ति निरस्त करा दी जाएगी ।महाविद्यालय में पदस्थ अतिथि विद्वान सुदीप्त चौधुरी नियमित बी.एड. कर एवं अतिथि विद्वान का मानदेय ले कर एक ही समय में दो कार्य कर खुद शासन के साथ धोखाधड़ी करने वाला आज प्राचार्य कक्ष में बैठ कर कर्मचारियों को धमकाने का कार्य कर रहा है, एसे अनुशासनहीन अतिथि विद्वान सुदीप्त चौधुरी के ऊपर कार्यवाही कर निलंबित किया जाय ।महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य द्वारा आए दिन बाहरी व्यक्तियों एवं विभिन्न छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं को महाविद्यालय में बुलाकर कर्मचारियों के विरुद्ध ज्ञापन, शिकायत एवं अनावश्यक दबाव की स्थिति निर्मित की जाती है। कर्मचारियों के विरुद्ध बार-बार निराधार एवं असत्य आरोप लगवाकर मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे महाविद्यालय का शैक्षणिक एवं प्रशासनिक वातावरण निरंतर प्रभावित हो रहा है।इसके अतिरिक्त, अपने साथी सुदीप्त चौधुरी अतिथि विद्वान गणित के साथ मिल कर महाविद्यालय से संबंधित गोपनीय एवं प्रशासनिक दस्तावेज बाहरी व्यक्तियों के साथ साझा किए जाने की आशंका एवं घटनाएँ भी सामने आई हैं, जो कि शासकीय गोपनीयता एवं प्रशासनिक मर्यादा के विपरीत है। इस प्रकार की गतिविधियों से कर्मचारियों में भय एवं असुरक्षा का वातावरण निर्मित हो गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों के विरुद्ध लगाए गए कई आरोपों की पूर्व में सक्षम जांच समितियों द्वारा जांच की जा चुकी है, जिनमें आरोप निराधार पाए गए थे, तथापि पुनः उन्हीं विषयों को आधार बनाकर कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कर्मचारियों की मांग है कि महाविद्यालय के स्वस्थ शैक्षणिक एवं प्रशासनिक वातावरण को बनाए रखने हेतु निष्पक्ष जांच कर डॉ मंगल सिंह को प्रभारी प्राचार्य बनाना आवश्यक प्रतीत होती है।पूर्व में डॉ. मंगल सिंह के कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों द्वारा महाविद्यालय के प्रशासनिक वातावरण को सकारात्मक एवं सहयोगात्मक माना जाता रहा है। कर्मचारियों का उददेश्य किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं, बल्कि महाविद्यालय के हित में तथ्यात्मक एवं निष्पक्ष जांच कराना है।

अरुण गौतम जिला जेल सतर्कता एवं निगरानी समिति के सदस्य मनोनीत

नवभारत, जयसिंहनगर। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं अधिवक्ता अरुण गौतम को जिला जेल सतर्कता एवं निगरानी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। उनके मनोनयन से क्षेत्र में हर्ष का वातावरण व्याप्त है तथा समर्थकों एवं शुभचिंतकों ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी है। अरुण गौतम ने कहा कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि समिति के माध्यम से संबंधित विभाग में पात्र एवं जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। श्री गौतम लंबे समय से सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। उन्हें एक कर्मठ, जुझारू एवं जनसेवा के प्रति समर्पित नेता के रूप में जाना जाता है। उनके मनोनयन को संगठन एवं समाज के लिए सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इस अवसर पर दिलीप प्यासी, यमुना प्रसाद मिश्रा, नरेंद्र शुक्ला, दिनेश प्यासी, रामलाल खटीक, गया प्रसाद मिश्रा, रामनारायण पांडे, रविंद्र शर्मा, छोटू, कपिल देव सिंह, रामनिवास तिवारी, सातीका तिवारी, आदेश शुक्ला, राजेंद्र द्विवेदी, पंकज पांडे, अनिल मिश्रा, सुशील तिवारी, रामकेश पांडे, हजारी गौतम, पारस द्विवेदी, लाल कमल गौतम, संजय राव, अनिल पाठक, महेंद्र त्रिपाठी, दुर्गा तिवारी, कमलेश तिवारी, बाला प्रसाद मिश्रा, द्वारिका सोनी, मंगलेश्वर सिंह, आनंद कांत गौतम, राजेश तिवारी, सुधीर पांडे, हिमांशु गुप्ता सहित अनेक लोगों ने बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

गंगा दशहरा पर जल संरक्षण हेतु जिले में होंगे विशेष कार्यक्रम

नवभारत,शहडोल । कलेक्टर डॉ. केदार सिंह द्वारा गंगा दशहरा के अवसर पर 25 मई 2026 को जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण एवं जल स्रोतों के पूजन कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह आयोजन मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत किया जाएगा। जारी निर्देशानुसार ग्राम पंचायत स्तर पर जल स्रोतों जैसे तालाब, कुएं, बावड़ी, नदी, हैंडपंप एवं अन्य पेयजल स्रोतों का पूजन, साफ-सफ़ाई एवं संरक्षण संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कलेक्टर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पंचायत स्तर पर व्यापक जनसहभागिता के साथ जल संरक्षण के कार्य कराए जाएं तथा कार्यक्रम के आयोजन उपरांत प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत किया जाए।

अवैध रेत खनन और परिवहन पर अमलाई पुलिस का बड़ा प्रहार

नवभारत , अमलाई । क्षेत्र में अवैध रेत माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अमलाई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर घेराबंदी कर अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान मौके से भारी मात्रा में अवैध खनिज रेत बरामद की गई है और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ नए भारतीय न्याय संहिता के तहत कड़े कानूनी प्रावधानों में मामला दर्ज किया गया है।

पहली कार्रवाई : NH-43 पर पकड़ाया बिना नंबर का 'सोनालीका' ट्रैक्टर

मिली जानकारी के अनुसार, मुखबिर की सटीक सूचना पर अमलाई थाना पुलिस ने शारदा ओसीएम (बकहो) के पास नेशनल हाईवे-43 पर रणनीतिक नाकेबंदी की। इस दौरान पुलिस ने अवैध रेत से लदे एक बिना रजिस्ट्रेशन वाले 'सोल्ड' सोनालीका ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोका। जांच करने पर ट्रैक्टर में अवैध रूप से लोड की गई खनिज रेत पाई गई, जिसे व्यावसायिक बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से ट्रैक्टर-ट्रॉली और रेत को अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी बिजेन्द्र केवट (निवासी-बकहो) को गिरफ्तार किया है।

दूसरी कार्रवाई : कसेड़ नदी देवरी मंदिर घाट पर पुलिस की दबिश

इसी कड़ी में अमलाई पुलिस ने एक और त्वरित कार्रवाई करते हुए कसेड़ नदी के देवरी मंदिर घाट पर छापा मारा। यहाँ पुलिस ने अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर परिवहन करते हुए एक और बिना नंबर वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली को रंगे हाथों पकड़ा। मौके से आरोपी दिनेश महरा (निवासी- कुदरी, थाना गोहपारू) को हिरासत में लिया गया। आरोपी के पास रेत परिवहन से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज या टी.पी. (ट्रांसपोर्ट परमिट) उपलब्ध नहीं था। जब्त किए गए इस ट्रैक्टर-ट्रॉली की कुल अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपये आंकी गई है।

कठोर धाराओं के तहत मामला दर्ज, जांच जारी

अमलाई पुलिस ने दोनों ही मामलों में आरोपियों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2), 317(5) एवं खनिज अधिनियम की धारा 4/21 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। थाना पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध उत्खनन और खनिज के अवैध कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और मामले की विस्तृत विवेचना (जांच) की जा रही है कि इस अवैध नेटवर्क के तार और कहाँ-कहाँ जुड़े हैं।

तेज और गर्म हवाओं के साथ राखड़ के गुबार से घुट रही सांसें

पर्यावरण हो रहा प्रभावित

बरगवां और कैल्हौरी के रहवासियों का रहना दूभर

नवभारत, अमलाई । बरगवां। नगर परिषद् बरगवां के वार्ड क्रमांक 01 जहां पर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड चचाई के द्वारा भूमिगत अधिग्रहित कर कर प्लांट से निकलने वाली राखड को एस डैम बनाकर एकत्रित किया गया है नगर परिषद से लगा ग्राम कैल्हौरी के किसानों को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा अमरकंटक ताप विद्युत चचाई पावर प्लांट के राखड़ डेम से उड़ रही राख और धूल अब स्थानीय लोगों के लिए गंभीर समस्या बनती जा रही है। बताया जा रहा है कि डेम पूरी तरह राखड़ से भर चुका है और लंबे समय से सूखा पड़ा है, लेकिन धूल नियंत्रण के लिए नियमित पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा।भीषण गर्मी और तेज हवाओं के चलते राखड़ के गुबार लगातार आसपास की बस्तियों तक पहुंच रहे हैं। स्थिति यह है कि कई बार क्षेत्र में चारों ओर सिर्फ धूल और राख ही दिखाई देती है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि घरों, दुकानों और सड़कों पर राख की परत जम जाती है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है।रहवासियों के अनुसार राखड़ के लगातार उड़ने से सांस संबंधी बीमारियों और एलर्जी की शिकायतें बढ़ने लगी हैं। बच्चों, बुजुर्गों और दमा के मरीजों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार प्रबंधन और संबंधित विभाग द्वारा स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए।स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और पावर प्लांट प्रबंधन से मांग की है कि राखड़ डेम में नियमित पानी का छिड़काव कराया जाए, साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावी इंतजाम किए जाएं ताकि लोगों को धूल और राख के गुबार से राहत मिल सके।

आरोप | अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पर 10 लाख की रंगदारी मांगने का सनसनीखेज आरोप

बकहो नगर पंचायत में 'महीना वसूली' का खेल

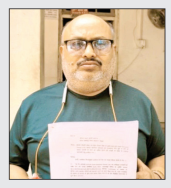

नवभारत, अमलाई/शहडोल। शहडोल जिले के सोहागपुर एरिया स्थित शारदा ओसीएम अमलाई में संचालित कोयला खनन परियोजना इन दिनों किसी औद्योगिक गतिविधि से ज्यादा राजनीतिक दबाव, कथित रंगदारी और सत्ता के दुरुपयोग का अखाड़ा बनती जा रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर लगे गंभीर आरोपों ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। कोयला खनन कार्य में लगी कंपनी एम/एस आरके अर्थ रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड ने जिला पुलिस अधीक्षक शहडोल को लिखित शिकायत सौंपकर बकहो नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मौसमी केवट और उपाध्यक्ष वैभव विक्रम सिंह पर हर महीने 10 लाख रुपये की अवैध वसूली मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार दोनों जनप्रतिनिधि कंपनी से अलग-अलग ?5-5 लाख प्रतिमाह की मांग कर रहे थे और रकम नहीं मिलने पर खदान का काम रुकवाने, आंदोलन कराने तथा माहौल बिगाड़ने की धमकी दी जा रही थी। कंपनी द्वारा पुलिस को सौंपे गए दस्तावेजों में साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि उन्हें सोहागपुर एरिया अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के तहत ओवर बर्डन हटाकर कोयला उत्पादन का वैध कार्यादेश प्राप्त है। इसके बावजूद कथित रूप से स्थानीय राजनीति और दबाव की आड़ में कंपनी को लगातार परेशान किया जा रहा है।

स्थानीय रोजगार की आड़ या वसूली का संगठित खेल

शिकायत में सबसे गंभीर बात यह सामने आई है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने के नाम पर कंपनी पर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे असली खेल कथित 'महीना वसूली' का बताया जा रहा है। कंपनी का आरोप है कि जब अवैध रकम देने से इनकार किया गया, तभी से व्यवस्थित तरीके से काम बाधित करना शुरू कर दिया गया। बताया गया है कि कई बार कंपनी के मुख्य प्रवेश द्वार पर भीड़ इकट्ठा कर काम रुकवाने की कोशिश की गई। मीडिया के माध्यम से खुलेआम तालाबंदी और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई, जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों में भय का वातावरण बन गया। सवाल यह उठ रहा है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को वास्तव में स्थानीय रोजगार की चिंता थी, तो उसके लिए प्रशासनिक और संवैधानिक रास्ते मौजूद थे। फिर सीधे खदान बंद कराने और कथित रकम मांगने जैसी स्थिति क्यों बनी।

कंपनी अधिकारियों से मारपीट और गाली-गलौज के आरोप

मामला केवल कथित आर्थिक दबाव तक सीमित नहीं है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कंपनी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज और मारपीट जैसी घटनाएं भी हो चुकी हैं। कंपनी का कहना है कि कुछ लोगों ने समूह बनाकर परिसर में जबरन प्रवेश किया और दहशत फैलाने का प्रयास किया। इससे कर्मचारी मानसिक रूप से भयभीत हैं और कार्य प्रभावित हो रहा है। खदान क्षेत्र में लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं, तो यह केवल एक कंपनी को धमकाने का मामला नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि पद की गरिमा को कलंकित करने वाला गंभीर अपराध माना जाएगा।

बार-बार शिकायत, फिर भी कार्यवाही नहीं

सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन की भूमिका को लेकर उठ रहा है। कंपनी का दावा है कि उसने अलग-अलग तारीखों में कई बार लिखित शिकायतें दीं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। बताया गया है कि 29 जुलाई 2025, 30 जुलाई 2025, 1 अगस्त 2025, 2 अगस्त 2025, 4 अगस्त 2025, 29 मार्च 2026, 22 अप्रैल 2026 और 23 अप्रैल 2026 को भी आवेदन दिए गए थे। इसके बावजूद आरोपियों पर न तो कोई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही हुई और न ही सख्त कानूनी कदम उठाए गए। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर पुलिस कार्यवाही से परहेज क्यों कर रही है। क्या राजनीतिक दबाव के कारण प्रशासन मौन बैठा है, या फिर शिकायतों को जानबूझकर ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है।